



An investor education initiative by

**LIC MUTUAL FUND**

निवेशक पते, फोन नंबर, बैंक विवरण आदि में बदलाव की प्रक्रिया सहित एक बार के.वाई.सी (अपने ग्राहक को जानें) को पूरा करने की प्रक्रिया के लिए म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जा सकते हैं। के.वाई.सी आवश्यकताओं, सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड और शिकायत निवारण के बारे में अधिक जानने के लिए यहां जाएं [HTTPS://LICMF.INFO/KYCREDRRESSAL](https://licmf.info/kycaddressal) या नीचे दी गई जानकारी पढ़ें।

### I. Know Your Customer (KYC) - अपने ग्राहक को जानें (के.वाय.सी):

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, आपको अपने ग्राहक को जानिए (के.वाय.सी) आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। आप किसी भी ए.एम.सी शाखा या निकटतम निवेशक सेवा केंद्र/सेवा केंद्र पर जाकर सभी आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ पूरा के.वाय.सी फॉर्म जमा करके ऐसा कर सकते हैं।

व्यक्तिगत निवेशकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे -

- एक हालिया पासपोर्ट आकार की फोटो
- पहचान का प्रमाण - आपके पैन कार्ड की एक प्रति
- पते का प्रमाण - आपके मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति

यदि आप पहले से ही के.वाय.सी सत्यापित हैं और अपनी कोई भी जानकारी सुधारना चाहते हैं, तो आप आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ एक पूरा के.वाय.सी विवरण परिवर्तन फॉर्म अपनी निकटतम ए.एम.सी शाखा या निवेशक सेवा केंद्र / सेवा बिंदु पर जमा कर सकते हैं।

### II. SEBI registered Mutual Funds – सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड:

हम निवेशकों को सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह देते हैं और केवल सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंड में ही निवेश करने के लिए आगाह करते हैं। पंजीकृत म्यूचुअल फंड की सूची <https://www.sebi.gov.in/intermediaries.html> पर उपलब्ध है

### III. Complaint Redressal - शिकायत निवारण:

किसी भी प्रश्न, शिकायत और शिकायत निवारण के लिए आप [service\\_licmf@kfintech.com](mailto:service_licmf@kfintech.com) पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमें १८०० २५८ ५६७८ पर कॉल कर सकते हैं। यदि आप समाधान से असंतुष्ट हैं या मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निवेशक सेवा अधिकारी को लिख सकते हैं। [service@licmf.com](mailto:service@licmf.com) पर. इस उद्देश्य के लिए, श्री प्रशांत ठक्कर म्यूचुअल फंड के निवेशक संबंध अधिकारी हैं। उनसे चौथी मंजिल, इंडस्ट्रियल एश्योरेंस बिल्डिंग, ओपी पर संपर्क किया जा सकता है। चर्चगेट स्टेशन, मुंबई - ४०००२० . संपर्क नंबर

६६०१६०००. यदि निवेशक ए.एम.सी द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) पर अपनी शिकायत दर्ज करके सेबी से संपर्क कर सकता है।

**म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।**

**Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**